तारीख हुक्म	
18.12.19	वादी प्रकरण उपस्थित नहीं। वादी अधिवक्ता अवकाश चाहते हैं। अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली वास्ते जिरह वादी दिनांक 5.2.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसीराबाद (अजमेर)
5.2.20	वादी प्रकरण उपस्थित नहीं। पेश हो। वादी अधिवक्ता को अंतिम अवसर दिया जाता है। पश्चात अंतिम अवसर दिया जाता है आगामी तारीख पेशी पर प्रकरण पेश नहीं करने पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। मिसल वास्ते जिरह वादी दिनांक 4.3.20 को पेश हो।
4.3.20	पत्रावली देखी। वादी व अधिवक्ता बसीराबाद अजमेर की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं होना जाहिर किया। वादी के विरुद्ध आरोप लगाया गया। वादी स्वयं या उसके प्रतिनिधि उपस्थित नहीं। वाद अग्रेतर अग्रिम तारीख पर आदेश किया जाता है पत्रावली मिसल शुमार हो। नम्बर देकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बसीराबाद (अजमेर)

पक्षकार को निर्देश नहीं है

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.03.06 14:09:25 IST
Reason: SelfAttested